सेवा में,

श्रीमती रश्मि शुक्ला
पुलिस महानिदेशक, महाराष्ट्र
dgpms.mumbai@mahapolice.gov.in,
cp.mumbai@mahapolice.gov.in

डॉ. महेश्वर रेड्डी (आईपीएस)
पुलिस अधीक्षक, जलगांव
sp.jalgaon@mahapolice.gov.in
पुलिस अधीक्षक कार्यालय - जलगांव,
नई बस स्टैंड के सामने, जिला पेठ,
जलगांव, महाराष्ट्र 425001

विषय: शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक रैली में भाग लेने की बाबत जलगांव जिला के जामनेर के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ शिकायत जो कि संवैधानिक पद की शपथ, पेशेवर निष्पक्षता और पुलिसिंग के नैतिक मानकों का घोर उल्लंघन है। ये संगठ सुलैमान पठान मॉबलिंचिंग मामले के आरोपी से जुड़ा संगठन है।

आदरणीय महोदया/महोदय,

हम, सिटिज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस, मुंबई स्थित एक मानवाधिकार संगठन, यह शिकायत बेहद चिंता और पीड़ा के साथ कर रहे हैं। यह शिकायत जलगांव जिले के जामनेर पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारियों से संबंधित एक गंभीर और अभूतपूर्व घटना को लेकर है जो 20 वर्षीय युवक की भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या (मॉबलिंचिंग) की घटना की जांच में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से शामिल हैं।

11 अगस्त 2025 को सुलैमान पठान की हुई हत्या के संबंध में

राष्ट्रीय स्तर की एक विश्वसनीय मीडिया संस्था द वायर द्वारा अक्टूबर 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में इस संबंध में दस्तावेज, पुष्टि की गई जानकारी और विजुअल एविडेंस दिए गए हैं। इन साक्ष्यों के अनुसार, जामनेर पुलिस स्टेशन के वही अधिकारी - जिनमें मामले के जांच अधिकारी (IO) इंस्पेक्टर मुरलीधर कासार भी शामिल हैं -शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित एक रैली में सार्वजनिक रूप से भाग लेते देखे गए। यह वही हिंदुत्ववादी संगठन है, जिससे कम से कम चार गिरफ्तार आरोपी जुड़े हुए हैं।

यहां उस लेख का लिंक दिया गया है जिस पर यह शिकायत आधारित है:

https://m.thewire.in/article/communalism/in-jamner-police-officials-join-march-by-hindutvaoutfit-under-scanner-for-a-muslim-youths-lynching/amp

यह घटना केवल शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं है, बल्कि यह भारत के संविधान, निष्पक्ष पुलिसिंग के सिद्धांत और न्याय की मूल भावना का गंभीर अपमान है।

पृष्ठभूमि: सुलेमान पठान की मॉबलिंचिंग

11 अगस्त 2025 को 20 वर्षीय सुलेमान खान पठान -जो कि जामनेर तहसील के बेटावाड खुर्द के निवासी थे- को एक हिंदू लड़की के साथ एक कैफे में बैठने के कारण हिंदू पुरुषों की भीड़ ने बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या कर दी।

- यह हमला जामनेर पुलिस स्टेशन से कुछ ही मीटर की दूरी पर हुआ।
- भीड़ ने उसका अपहरण कर लिया, उसे कई जगहों पर घुमाया, छह घंटे से ज्यादा समय तक उस पर बार-बार हमला किया और फिर उसे उसके गांव घसीटकर ले गए और उसके माता-पिता और बहन के सामने उसकी हत्या कर दी।
- उसके परिवार के सदस्यों, जिन्होंने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उसे भी पीटा गया; उसकी मां और बहन को यौन हिंसा की धमकी दी गई।
- हमला करने के साथ साथ सांप्रदायिक गालियां भी दीं गईं - "मुसलमान है, मार डालो इसको" - जैसा कि 'Article 14' में रिपोर्ट किया गया है।
- सुलेमान के नाखून उखाड़ दिए गए; उसके शरीर पर कई फ्रैक्चर हो गए और वह अपने पिता की बाहों में खून से लथपथ होकर मर गया।

भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 103(1) और 103(2) के तहत भीड़ द्वारा की गई मॉबलिंचिंग के नए प्रावधानों को लागू करते हुए FIR दर्ज की गई।

हालांकि, शुरुआती दिनों में ही परिवार ने बताया कि उनके बयान को नकारा गया, गवाहों के बयानों को अनदेखा किया गया और प्रभावशाली आरोपियों की रक्षा की गई।

आरोपियों के संगठनात्मक संबंध

द वायर, Scroll.in, Article 14, और NDTV की जांचों से यह पुष्टि हुई है कि गिरफ्तार चार आरोपी - आदित्य देवरे, कृष्णा तेली, सोजवाल तेली, और ऋषिकेश तेली - शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के सक्रिय

सदस्य हैं। यह संगठन संभाजी भिड़े द्वारा संचालित है, जो एक जाने-माने हिंदुत्व विचारक और पूर्व RSS सदस्य हैं।

● आरोपी सार्वजनिक तस्वीरों, सोशल मीडिया पोस्ट और कार्यक्रमों के वीडियो में नियमित रूप से शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की गतिविधियों में भाग लेते दिखाए देते हैं।

● इस संगठन के सोशल मीडिया पेजों ने खुलेआम आरोपियों को "धर्म रक्षक" के रूप में सम्मानित किया है और नफरत फैलाने वाले प्रचार के जरिए सुलैमान की हत्या को जायज ठहराया है जिसमें मुस्लिम पुरुषों को "लव जिहादी" बताया गया है।

● वही संगठन भारतीय तिरंगे के खिलाफ अभियान चला चुका है और उसे भगवा के रंग के ध्वज से बदलने की मांग की है। इसके नेता भिड़े ने असंवैधानिक और इस्लामोफोबिक बयान दिए हैं, जिसमें उन्होंने इस्लाम को "राष्ट्र का असली दुश्मन" कहा है।

● यह संगठन 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा में भी शामिल रहा है जैसा कि कई पुलिस FIR और रिपोर्टों में दर्ज है।

इस प्रकार, आरोपी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बल्कि नफरत फैलाने वाले एक व्यवस्थित, वैचारिक रूप से प्रेरित नेटवर्क का हिस्सा थे जो खुले तौर पर सांप्रदायिक उद्देश्यों के साथ काम कर रहा है।

पुलिस अधिकारियों की शिव प्रतिष्ठान की रैली में भागीदारी

द वायर की विस्तृत रिपोर्ट (अक्टूबर 2025) और सोशल मीडिया पर उपलब्ध वीडियो के अनुसार, दशहरा के दिन, सुलेमान की हत्या के कुछ ही सप्ताह बाद, जामनेर पुलिस अधिकारी, जिनमें इंस्पेक्टर मुरलीधर कासार भी शामिल हैं, शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित एक विशाल जुलूस में भाग लेते देखे गए। यह जुलूस स्थानीय रूप से "दुर्गा माता महा दौड़" के नाम से जाना जाता है।

यह जुलूस:

● इसमें हजारों प्रतिभागी शामिल थे, जिनमें नाबालिग भी थे, जो तलवारें, लठ्ठे और त्रिशूल लेकर चल रहे थे।
● इस दौरान मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाए गए, जैसे: "दुर्गा बन, तू काली बन, कभी न बुर्के वाली बन।"
● इसका नेतृत्व भगवाधारी शिव प्रतिष्ठान के सदस्यों ने किया, जो संगठन का ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे थे, जिसे झूठा दावा करके "भारत का राष्ट्रीय ध्वज" बताया गया।

● जुलूस में "अखंड भारत" लिखा हुआ एक तख्ती और बैनर भी था, जो एक विस्तारवादी धार्मिक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

द वायर द्वारा प्रकाशित विजुअल में इंस्पेक्टर कासार को भगवा पगड़ी पहने, संगठन का झंडा लेकर जुलूस का नेतृत्व करते और प्रतिभागियों का तिलक और फूलों की माला से स्वागत करते दिखाया गया है - यह सब एक कानून के रक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक सहभागी और समर्थक के रूप में है।

महाराष्ट्र पुलिस द्वारा अब तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई या सार्वजनिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है।

वीडियो यहां देखा जा सकता है: https://x.com/kunalpurohit/status/1974139754984968254

पुलिस की शपथ, संवैधानिक दायित्व और आचार संहिता का उल्लंघन

जामनेर के पुलिस अधिकारियों, विशेष रूप से इंस्पेक्टर मुरलीधर कासार के आचरण -जो न केवल सुलेमान पठान की मॉबलिंचिंग मामले के मूल जांच अधिकारी (IO) थे, बल्कि शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित रैली में सार्वजनिक रूप से सहभागी और स्पष्ट रूप से समर्थक भी थे, जो कि आरोपी से जुड़ा संगठन है - यह पद की शपथ, संवैधानिक दायित्वों और एक लोकतांत्रिक तथा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य में पुलिस अधिकारी के पेशेवर नैतिकताओं का सीधे-सीधे उल्लंघन है।

1. पद की शपथ का उल्लंघन: महाराष्ट्र पुलिस का प्रत्येक अधिकारी नियुक्ति के समय शपथ लेता है, जिसमें वह यह संकल्प करता है कि वह "भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और निष्ठा बनाए रखेगा, भारत की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेगा और अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना किसी भय, पक्षपात, स्नेह या द्वेष के करेगा।"

यह शपथ केवल प्रतीकात्मक नहीं है; यह एक गंभीर संवैधानिक वचनबद्धता है जो अधिकारी को समानता, धर्मनिरपेक्षता और निष्पक्ष न्याय के मूल्यों के प्रति बाध्य करती है। एक सांप्रदायिक संगठन के साथ सार्वजनिक रूप से जुड़कर, जो संविधान का अपमान करता है, राष्ट्रीय ध्वज को नकारता है, और एक अल्पसंख्यक समुदाय को दोषी ठहराता है। इन अधिकारियों ने अपनी शपथ का विश्वासघात किया है।

तीरंगे के स्थान पर एक ऐसे झंडे के नीचे मार्च करना -जो भारत के संविधान द्वारा स्थापित विविधता में एकता के प्रतीक के रूप में माना जाता है -उस निष्ठा की बुनियाद को त्याग देना है, जिसकी उन्होंने शपथ ली थी।

2. संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन: संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21, और 25 के तहत कानून के समक्ष समानता, भेदभाव निषेध, जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा, तथा आस्था की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को सुनिश्चित किया गया है।

पुलिस, राज्य की सबसे प्रमुख शाखा के रूप में, इन सिद्धांतों को बनाए रखने और नागरिकों को सांप्रदायिक हिंसा एवं नफरत अपराधों से सुरक्षा प्रदान करने का सकारात्मक दायित्व निभाती है।

जब ऐसे अधिकारी जो सांप्रदायिक मॉबलिंचिंग की जांच कर रहे हों, उसी संगठन की अगुवाई वाली रैली में भाग लेते हैं जो आरोपियों से वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ है, तो वे "धर्म और विचारधारा के मामलों में राज्य की निष्पक्षता" के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं।

यह आचरण अनुच्छेद 14 की समान सुरक्षा की गारंटी के मूल को चोट पहुंचाता है क्योंकि जब राज्य के प्रतिनिधि नफरत अपराधों के आरोपी के खुले समर्थन में खड़े हों, तो सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ित कैसे विश्वास कर सकते हैं कि राज्य उनकी सुरक्षा करेगा?

3. कानूनी एवं सेवा आचार संहिता के नियमों का उल्लंघन: महाराष्ट्र सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1979, जो सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों सहित पुलिस कर्मियों पर लागू होते हैं, स्पष्ट दायित्व लागू करते हैं:

- नियम 3(1): प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को सदैव पूर्ण ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखनी चाहिए और ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो एक सरकारी कर्मचारी के अनुकूल न हो।
- नियम 5(1): कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी राजनीतिक पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता और न ही किसी ऐसी संस्था से जुड़ा हो सकता है जो राजनीति में भाग लेती हो; न ही वह किसी राजनीतिक आंदोलन या गतिविधि में भाग ले सकता है, सहायता कर सकता है या किसी भी रूप में उसमें सहयोग दे सकता है।
- नियम 24: कोई भी सरकारी कर्मचारी लिखित, भाषण या कार्य द्वारा या अन्य किसी भी तरीके से ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर सकता जिससे भारत के विभिन्न समुदायों के बीच नफरत या द्वेष की भावना पैदा हो।

शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान द्वारा आयोजित दुर्गा माता महादौड़ में भाग लेकर, इन अधिकारियों ने इन तीनों नियमों का उल्लंघन किया है।

इस संगठन की अच्छी तरह से दर्ज गतिविधियां- जिनमें राष्ट्रीय ध्वज को अस्वीकार करना, हिंसा का महिमामंडन, "हिंदू राष्ट्र" की मांगें और मुसलमानों का निंदा करना शामिल है - इसे नियम 24 के तहत स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बनाती हैं। इसलिए, इसकी गतिविधियों में भाग लेना गंभीर अनुशासनहीनता और सार्वजनिक सेवा की ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए हानिकारक कृत्य है।

4. हितों का टकराव और जांच का समझौता: पुलिसिंग का मुख्य सिद्धांत यह है कि जांचकर्ता न केवल निष्पक्ष होना चाहिए, बल्कि ऐसा भी दिखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने तहसीन एस. पूनावाला बनाम भारत संघ (2018) के मामले में मॉबलिंचिंग पर विस्तृत निर्देश जारी करते हुए, पुलिस की "स्वतंत्र, समय पर और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी" पर जोर दिया और चेतावनी दी कि कोई भी अधिकारी जो सांप्रदायिक या राजनीतिक पक्षपात दिखाएगा, उसे विभागीय और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

जिन संगठन के सदस्यों की वे जांच कर रहे हैं, उसी संगठन की रैली का नेतृत्व करके जामनेर पुलिस अधिकारियों ने हितों का टकराव पैदा कर दिया है। पक्षपात की छवि अब इतनी प्रबल हो गई है कि जांच को विश्वसनीय या स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। किसी भी नागरिक को यह डर नहीं होना चाहिए कि वही अधिकारी जो नफरती अपराध की जांच कर रहा है, वे उन लोगों के साथ मिलकर ऐसे अपराधों को भड़काने वालों का जश्न मना रहे हों।

5. कर्तव्य पालन से लापरवाही और यूनिफॉर्म का दुरुपयोग: पुलिस यूनिफॉर्म केवल एक ड्रेस नहीं है बल्कि यह गणराज्य का प्रतीक है जो भारत के लोगों की ओर से पहना जाता है। जब अधिकारी इसे पहने हुए किसी सांप्रदायिक संगठन की रैली में हथियार लेकर और मुसलमान विरोधी नारे लगाते हुए मार्च करते हैं, तो वे अपने धर्म या अभिव्यक्ति के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, बल्कि नफरत को वैधता देने के लिए राज्य की शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग कर रहे होते हैं।

यूनिफॉर्मधारी पुलिस का ऐसे कार्यक्रम में होना अतिवाद को सामान्य करता है और अपराधियों को संदेश देता है कि राज्य उनके साथ है, न कि पीड़ितों के साथ। इससे यूनिफॉर्म की पवित्रता न्ष्ट होती है, ईमानदार अधिकारियों का मनोबल गिरता है और महाराष्ट्र पुलिस की संस्थागत प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचता है।

6. सुप्रीम कोर्ट के "पुलिस आचार संहिता" का उल्लंघन: नेशनल पुलिस कमीशन की पहली रिपोर्ट (1979) और भारतीय पुलिस आचार संहिता - जिसे बाद में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) ने पुनः पुष्ट किया - में प्रत्येक अधिकारी से अपेक्षा की गई है कि वह "कानून को निष्पक्ष रूप से बनाए रखे और लागू करे तथा जनता के जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति, मानवाधिकार और गरिमा की रक्षा करे।"

सांप्रदायिक अपराध की जांच करते हुए सांप्रदायिक रैली में भाग लेना इस आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। यह केवल निर्णय की त्रुटि नहीं बल्कि जानबूझकर पक्षपात को दर्शाता है -जो नैतिक और संवैधानिक दोनों दायित्वों का विश्वासघात है।

7. नैतिक और संस्थागत परिणाम: यह उल्लंघन केवल व्यक्तिगत असफलता नहीं है; इसके गंभीर संस्थागत प्रभाव हैं। यदि ऐसे आचरण को बिना दंड के छोड़ दिया गया, तो यह पुलिस बल के अन्य सदस्यों को यह संकेत देगा कि सांप्रदायिक पक्षधरता सहनीय है, जांच की निष्पक्षता वैकल्पिक है और संवैधानिक शपथ को नजरअंदाज किया जा सकता है।

नफरत अपराधों के पीड़ितों -विशेष रूप से उन अल्पसंख्यकों के लिए जो पहले से ही गहरे अविश्वास का सामना करते हैं - यह एक डरावना संदेश देता है कि राज्य की मशीनरी उनके उत्पीड़कों के साथ खड़ी है। वास्तव में, यह पुलिस को न्याय के रक्षक से भय पैदा करने वाले उपकरण में बदल देता है, और कानून के शासन की मूल भावना को भीतर से नुकसान पहुंचाता है।

निष्पक्षता और पक्षपात की छवि का सवाल

कोई भी जांच उस समय विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती जब जांचकर्ता स्वयं आरोपियों के वैचारिक मार्गदर्शकों के साथ मार्च करते हुए दिखाई दें। यहां पर यह सिद्धांत पूरी तरह लागू होता है कि "न्याय केवल किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि होता हुआ दिखना भी चाहिए।"

सुलेमान पठान के परिवार के लिए -जिन्हें पहले ही स्थानीय पुलिस के कुछ वर्गों ने नजरअंदाज किया, उनके बयानों को महत्व नहीं दिया गया और जब उन्होंने मामले की जानकारी मांगी तो उन्हें अपमानित किया गया - यह भागीदारी उनके पक्षपात को लेकर सबसे बड़े डर की पुष्टि करती है।

यह आपराधिक जांच की उस आधारशिला को ही कमजोर कर देती है, जो जनता के विश्वास पर टिकी होती है, और सांप्रदायिक संगठनों को दंड से बच निकलने का हौसला देती है।

संस्थागत मिलीभगत और चुप्पी का पैटर्न

वरिष्ठ पुलिस नेतृत्व की चुप्पी और सुधारात्मक कार्रवाई का अभाव, फोर्स के भीतर सांप्रदायिक आचरण के प्रति संस्थागत सहिष्णुता की एक खतरनाक प्रवृत्ति को दर्शाता है।

महाराष्ट्र पुलिस, जिसे ऐतिहासिक रूप से उसके पेशे के लिए सम्मान मिला है, उसे सांप्रदायिक विचारधाराओं की पक्षधर या उनकी बंदी के रूप में देखा जाना स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

यदि इस मामले को तुरंत निपटाया नहीं गया, तो यह पक्षपातपूर्ण सहनशीलता की एक ऐसी मिसाल बन सकता है जिसमें अधिकारी सांस्कृतिक या धार्मिक अभिव्यक्ति के नाम पर आरोपियों से जुड़े संगठनों की सार्वजनिक गतिविधियों में खुलकर भाग लेने को स्वतंत्र समझने लगें।

मांगें और राहत

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, मैं अत्यंत सम्मानपूर्वक आपसे तत्काल हस्तक्षेप करने और निम्नलिखित आवश्यक कार्रवाई की मांग करता/करती हूं:

1. उन सभी पुलिस अधिकारियों, जिनमें इंस्पेक्टर मुरलीधर कासार भी शामिल हैं, को तत्काल निलंबित किया जाए जिन्होंने शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की रैली में भाग लिया जबकि जांच अभी जारी थी।
2. महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम और सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनहीनता, कर्तव्य में लापरवाही और शपथ के उल्लंघन के लिए विभागीय जांच शुरू की जाए।
3. सुलंमान पठान मॉबलिंचिंग मामले की जांच को एक स्वतंत्र और उच्चस्तरीय एजेंसी, जैसे कि CID या किसी वरिष्ठ IPS अधिकारी के नेतृत्व में विशेष SIT को सौंपा जाए, जो जलगांव जिले से असंबंधित हो।
4. DGP कार्यालय द्वारा सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट किया जाए कि महाराष्ट्र पुलिस का इस घटना पर आधिकारिक रुख क्या है, ताकि नागरिकों को संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति पुलिस की प्रतिबद्धता पर विश्वास बहाल हो सके।
5. सुलेमान पठान के परिवार और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिन्होंने बार-बार डर और वर्तमान जांच में विश्वास की कमी व्यक्त की है।
6. सभी पुलिसकर्मियों को यह स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए कि धार्मिक, राजनीतिक या सांप्रदायिक संगठनों द्वारा आयोजित किसी भी कार्यक्रम में भाग लेना, तत्काल निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई का कारण बनेगा।

एक व्यापक नैतिक दायित्व

माननीय, पुलिसिंग केवल एक पेशा नहीं है; यह एक संवैधानिक आह्वान है। हर पुलिस अधिकारी द्वारा ली गई शपथ उसे किसी जाति, धर्म या विचारधारा से नहीं बल्कि भारत गणराज्य और उसकी धर्मनिरपेक्ष संरचना से बांधती है।

जब न्याय लागू करने की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर होती है वही अधिकारी आरोपियों के साथ मार्च करते हैं ऐसे झंडे के नीचे खड़े होते हैं जो तिरंगे को अस्वीकार करता है और ऐसे नारों के बीच शामिल होते हैं जो पूरे समुदाय को अपमानित करते हैं तो वे न केवल अपनी वर्दी का अपमान करते हैं बल्कि अपनी संवैधानिक शपथ का भी करते हैं।

इसलिए यह शिकायत केवल एक घटना तक सीमित नहीं है। यह महाराष्ट्र पुलिस की नैतिक और संवैधानिक अखंडता की पुनर्स्थापना, कानून प्रवर्तन की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति की रक्षा और यह सुनिश्चित करने की मांग है कि सुलंमान पठान की मृत्यु के साथ न्याय की भी मृत्यु न हो।

हम आपसे तत्काल और व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील करते हैं ताकि अनुशासनात्मक, प्रशासनिक और सुधारात्मक कार्रवाइयां शुरू की जा सकें और यह सार्वजनिक रूप से दोहराया जा सके कि महाराष्ट्र पुलिस संविधान के साथ खड़ी है - उन लोगों के साथ नहीं जो उसका अपमान करते हैं। न्याय और मिलीभगत साथ-साथ नहीं चल सकते।

सादर,

नंदन मलूस्ते, अध्यक्ष, सीजेपी

तीस्ता सीतलवाड़, सचिव, सीजेपी